न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 34/2021

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रामकिशोर पुत्र शिवकरण जाति जाट निवासी बू नरावता तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		भंवरूराम पुत्र हापूराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील मुण्डवा जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री कैलाश गालवा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री प्रेमसुख काला अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 02.04.2026

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा प्रकरण सं. 09/2021 अनवान भंवरूराम बनाम रामकिशोर पारित निर्णय दिनांक 08.06.2021 से असंतुष्ट होकर दिनांक 30.07.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट की अपील दिनांक 13.09.2021 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट ओर से श्री प्रेमसुख काला अधिवक्ता, ने वकालतनामा पेश किया। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार मुण्डवा के निर्णय दिनांक 08.06.21 की फोटोप्रति, तहसीलदार मुण्डवा के प्रकरण संख्या 09/21 के फर्द अहकाम दिनांक 04.06.21 से 08.06.21 तक की फोटोप्रति, मौका जांच रिपोर्ट की फोटोप्रति, तहसीलदार मुण्डवा को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.06.21 व 17.05.21 की फोटोप्रति, नक्शा की फोटोप्रति, नोटिस–2 की फोटोप्रति, तहसीलदार मुण्डवा के प्रकरण संख्या 09/21 में प्रस्तुत जवाब की फोटोप्रति, मौका पर्चा की फोटोप्रति, तहसीलदार मुण्डवा के आदेश दिनांक 10.06.21 की फोटोप्रति, माननीय जिला कलक्टर महोदय नागौर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, एफआईआर दिनांक 07.07.21 की फोटोप्रति, ग्राम बू नरावता की जमाबंदी संवत् 2076 की फोटोप्रति, नक्शा की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर में प्रस्तुत परिवाद की फोटोप्रति, न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के फर्द अहकाम दिनांक 31.08.21 से 22.08.22 तक की फोटोप्रति, तहसीलदार नागौर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर के अनवान रामकिशोर बनाम जालाराम की फर्द अहकाम दिनांक 23.05.23 की फोटोप्रति, न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर के पत्र दिनांक 25.05.23 की फोटप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) नागौर के प्रकरण संख्या 29/21 के फर्द अहकाम दिनांक 15.06.21 की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) नागौर में प्रस्तुत वाद की फोटोप्रति, श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय नागौर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने मियाद के बिन्दु पर बहस शुरू करते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ, मौका रिपोर्टस की तिथियों व सारवान व तात्विक बातों में काट छांट व पहले व पश्चात की मनमानी इबारतें दर्ज हैं, अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने विधि को दरकिनार कर अपीलांट को हस्तगत प्रकरण में आदेश जेर अपील की प्रतिलिपि तक उपलब्ध नहीं करवाई। जबकि अपीलांट द्वारा दिनांक 08.06.2021 को ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया, मगर बिना किसी वाजिब, पर्याप्त व माकूल कारण के नकल आवेदन पर प्रमाणित प्रतिलिपियां नहीं दी गई व जबरन रोके रखी। दिनांक 26.07.2021 को लम्बे अंतराल के पश्चात नकले दी गई हैं, जिसके तुरंत पश्चात जानकारी के दिन से अपीलांट की अपील अन्दर मियाद पेश है जिससे अन्दर मियाद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है। अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है, अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–आदेश जेर अपील खिलाफ कानून तथ्यों, परिस्थितियों, राजस्व रेकर्ड, साक्ष्य व रेकर्ड के विपरीत जाकर प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्वान्तों की अवहलेना कर पारित किया गया होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

02/4/26

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से प्रतीत होता है कि न तो अपीलांट की साक्ष्य व मौके की स्थिति सुनिश्चित की गई न ही विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया, न ही किसी भी प्रकार का कोई अंकन आदेशिका में किया गया। इससे प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कानूनी प्रकिया नहीं अपनाई एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में अपने निर्णय में किसी प्रकार का कोई विधिवत कारण अंकित नही किया। इससे प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में अनावश्यक जल्दबाजी कर रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया हैं, जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(III)–अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 965/148 के चिपते उतरी तरफ रेस्पोडेंट भंवरलाल पुत्र हापूराम जाति जाट निवासी जनाणा का खेत खसरा नम्बर 147 स्थित है तथा अभी हाल ही में रास्ता खोलों अभियान के तहत अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी तहसीलदार मुण्डवा ने जनाणा से झुझण्डा जाने वाले रास्ते से निकलकर मौजा बू नरावता के खसरा नम्बर 163 से होकर अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 965/148 तक ही रास्ता कायम करना चाहिए था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी तहसीलदार मुण्डवा के मौजा बू नरावता के खसरा नम्बर 147 के खातेदार रेस्पोडेंट भंवरलाल पुत्र हापूराम जाति जाट निवासी जनाणा से मिलावट कर उसे रास्ता दिलवाने का कथन कर उससे एक आवेदन धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का लेकर विधि विरूद्व तरीके से उसके खेत खसरा नम्बर 147 में आने जाने हेतु बिना अपीलांट रामकिशोर की सहमति के प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 965/148 की उतरी पूर्वी सींव पर जबरन रास्ता दे दिया, जबकि खसरा नम्बर 147 में आने जाने हेतु कभी भी अपीलांट रामकिशोर के खेत खसरा नम्बर 965/148 की पूर्वी उतरी सींव पर कभी भी रास्ता नहीं था एवं खसरा नम्बर 147 के खातेदार रेस्पोडेंट भंवरलाल पुत्र हापुराम निवासी जनाणा को रास्ते के लिए धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सक्षम न्यायालय में आवेदन पेश करना चाहिए था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी तहसीलदार मुण्डवा ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गलत रूप से विधि विरूद्व तरीके से रास्ता देने का आदेश पारित किया हैं, इस कारण पूरे प्रकरण की जांच की जाना उचित व न्याय संगत हैं, क्योंकि पूर्व में जो आवेदन पेश हुआ, वो सभी ग्रामवासियों द्वारा पीढियों से चल रहे रास्ते को कटाणी रास्ता घोषित करने का आवेदन था, जो अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 965/148 के दक्षिण पूर्वी कॉर्नर पर जाकर आगे पूर्वी तरफ मुड जाता हैं, उसी पर कटाणी रास्ता दर्ज करवाने का आवेदन था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी तहसीलदार मुण्डवा ने खसरा नम्बर 147 के खातेदार रेस्पोडेंट भंवरलाल से अलग से आवेदन लेकर उसे विधि विरूद्व तरीके से रास्ता देने का आदेश पारित कर दिया, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 965/148 के चिपते ही उतरी दिशा में रेस्पोडेंट के कब्जे काश्त व खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 147 स्थित हैं, खसरा नम्बर 965/148 की उतरी पूर्वी सीव पर खसरा नम्बर 147 में आने जाने हेतु कभी कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं रहा, न आज दिन हैं, रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से मिलावट कर अपीलांट के खसरा नम्बर 965/148 की उतरी पूर्वी सींव पर नया व विधि विरूद्व रास्ता कायम करने की चेष्टा व कार्यवाही की गई हैं, इस हेतु अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा धमकियां तक दी गई, दिनांक 08.06.2021 को रेस्पोंडेंट संख्या 01 द्वारा अपीलांट के विरूद्व धारा 107 सीआरपीसी की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से मिलावट कर अपीलांट व उसके पुत्र को पाबंद तक करवा दिया गया तथा हाल ही में अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 965/148 की उतरी पूर्वी सीव पर स्थित पत्थरों की कच्ची दीवार को रेस्पोडेंट व अधीनस्थ न्यायालय के वीठासीन अधिकारी व उनके सरकारी अमले द्वारा तोडने व विधि विरूद्व तरीके से नया रास्ता अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 965/148 की उतरी पूर्वी सींव पर से कायम करने पर आमादा हैं, जिन तथ्यों को जानते, मानते हुए मिलावट कर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जेर अपील पारित किया हैं, जो इस आधार पर अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)–राजस्थान उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय की व राजस्व मण्डल के द्वारा अनेक सिद्वान्त है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर प्रकरण का निस्तारण करना चाहिए, मगर वर्तमान प्रकरण में ऐसी किसी प्रक्रिया की पालना नहीं कर अत्यधिक जल्दबाजी व मनमानी कर निर्णय जेर अपील पारित किया है जो अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(VI)–अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय धारा 251 राजस्थान काश्तारी अधिनियम के प्रावधानों के गलत निर्वचन एवं व्याख्या का परिणाम है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का सही प्रकार से व्याख्या नहीं की है और न ही अधीनस्थ न्यायालय

2/4/22

अपर कलक्टर, नागौर

हस्तगत आदेश जेर अपील पारित करने हेतु सक्षम ही था, फिर भी अधिकारातीत व क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश जेर अपील पत्रावली पर उपलब्ध व मौके पर मौजूद तथ्यों, परिस्थितियों व रेकर्ड के विपरीत एकतरफा रूप से पारित किया है जो खारिज होने योग्य है।

{2}(VII)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जरे अपील खिलाफ कानून व तथ्यों परिस्थितियों के विपरीत होने के साथ ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध आलौच्य रूप से पारित किया गया हैं। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जेर अपील पारित करते समय तथ्यों परिस्थितियों का विवेचन तक अपने आदेश मे नही किया है तथा न ही किसी व्यथित पक्षकार को सुना गया हैं, ऐसी दशा में क्षेत्राधिकारी शक्तियो पर अतिक्रमण करते हुए आदेश जेर अपील पारित किया गया होने से खारिज किये जाने काबिल है।

{2}(VIII)–अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं, मौका रिपोर्टस की तिथियों व सारवान व तात्विक बातो मे कांट छांट व पहले व पश्चात की मनमानी इबारतें दर्ज हैं, अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने विधि को दरकिनार कर अपीलांट को हस्तगत प्रकरण में आदेश जेर अपील की प्रतिलिपि तक उपलब्ध नही करवाई, जबकि अपीलांट द्वारा दिनांक 08.06.2021 को ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया, मगर बिना किसी वाजिब, पर्याप्त व माकूल कारण के नकल आवेदन पर प्रमाणित प्रतिलिपियां नहीं दी गई व जबरन रोके रखी। दिनांक 26.07.2021 को लम्बे अंतराल के पश्चात नकले दी गई हैं, जिसके तुरन्त पश्चात यह अपील अपीलांट पेश कर रहा है।

{2}(IX)–मौके पर से दिनांक 11.06.2021 को मौका पर्चा तैयार करना बता रहे है तथा राजस्व टीम मय जाब्ते पुलिस बल के साथ जाकर रास्ते को खुलवाने का कथन कर रहे है एवं पूर्व में रास्ता खोलों अभियान वर्ष 2020–21 के तहत दिनांक 08.01.2021 को भी रास्ता खुलवाया गया था, के संदर्भ में किसी प्रकार के दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुए, मगर दिनांक 08.01.2021 को अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 965/148 के पूर्वी सींव पर से रास्ता खुलवाया गया होता तो कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अवश्य पेश होता एवं ऑर्डरशीट व निर्णय में हवाला अवश्य देते, लेकिन दिनांक 11.06.2021 को एकपक्षीय रूप से गलत मौका पर्चा तैयार किया एवं अपीलांट की मौजूदगी में तैयार नहीं किया एवं दिनांक 11.06.2021 की मौका पर्चा रिपोर्ट में अपीलांट रामकिशोर पुत्र शिवकरण व गरीब पुत्र रामकिशोर मौके पर उपस्थित थे, परन्तु हस्ताक्षर करने से इनकार किया, वाली बात भी बाद में गलत रूप से जोडी गई, जो मौका पर्चा देखने से ही गलत हैं, इस प्रकार दिनांक 08.01.2021 को रास्ता खोलने का मौका पर्चा बिल्कुल ही गलत रूप से बतलाया गया, जबकि रेस्पोडेंट के खेत खसरा नम्बर 147 में आने जाने हेतु कभी भी रास्ता दिनांक 08.01.2021 को नहीं खोला गया एवं न ही कभी भी रास्ता अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 965/148 की पूर्वी सींव पर नहीं रहा था, इस कारण भी निर्णय गलत तथ्यों के आधार पर विधि विरूद्व पारित किया गया होने से काबिल खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(X)–रास्ता खोलों अभियान के अन्तर्गत जो रास्ता पीढियों से चला आ रहा है वो खसरा नम्बर 164/1 से शुरू होकर अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 965/148 के दक्षिण पूर्वी सींव पर मध्य भाग से होकर पूर्वी तरफ मुड जाता है वो रास्ता कटाणी करवाने हेतु रास्ता खोलों अभियान के अन्तर्गत लिया गया, जिसमें सभी पक्षकार सहमत थे, उस समय जो रिपोर्ट बनी अगर रेस्पोडेंट के खेत खसरा नम्बर 147 तक रास्ता होता तो उस समय अवश्य रिपोर्ट में दर्ज होता एवं जो मेप का नक्शा पेश किया एवं पत्रावली में मौजूद हैं, उसमें भी खसरा नम्बर 965/148 के पूर्वी सींव पर मध्य भाग तक जाकर पूर्वी तरफ मुडा हुआ दर्शाया गया, अगर खसरा नम्बर 147 तक रास्ता होता तो अवश्य मेप में नक्शा दिखाई भी देता एवं रिपोर्ट भी उल्लेख भी करते, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में बाद में रेस्पोडेंट संख्या 1 से मिलावट कर मेप में भी प्रकार के रास्ते के आलामात नहीं होने के उपरांत भी एवं अपीलांट का जवाब को नजरअंदाज करते हुए जेर अपील निर्णय पारित किया हैं, जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(XI)– रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपने खेत खसर नम्बर 147 में आने जाने हेतु अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 965/148 की पूर्वी सींव से रास्ता स्थित हो, ऐसा कोई फोटोग्राफ, वीडियों या दस्तावेज पेश नहीं किया, मात्र रेस्पोडेंट के कह देने मात्र से रास्ता होना साबित नहीं होता, यहां तक कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र तक पेश नहीं किया, रेस्पोंडेट द्वारा रास्ते के संबंध में कुछ भी पेश नहीं करने के वावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की गलत व्याख्या करते हुए रेस्पोडेंट संख्या 1 को फायदा पंहुचाने की नियत से निर्णय पारित कर दिया, जो कि पूर्णतया विधि विरूद्व तरीके से जेर अपील निर्णय पारित किया, जो खारिज किये जाने योग्य है।

02/4/4

अपर कलक्टर, नागौर

(3)(I)–वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस मे बताया कि अपीलांट रामकिशोर पुत्र शिवकरण जाट निवासी बूनरावता तहसील मुण्डवा ने यह अपील बिना हक अधिकार के, वास्तविक तथ्य न्यायालय हाजा से छुपाते हुए, सरासर गलत आधारों पर विधि विरूद्व व मियाद बाहर पेश की गयी है, क्योंकि जिस आदेश के विरूद्व अपील पेश की है उसके संबंध में ऐसी अपील पोषणीय नहीं है इस संबंध में अपीलांट रामकिशोर द्वारा एक दावा धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत बदनियती से पेश किया गया था जो पहले न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय नागौर में विचाराधीन था व उपखण्ड क्षेत्र मुण्डवा के क्षेत्राधिकार होने से न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डवा में बअनवान रामकिशोर बनाम भंवराराम वगैरा अधीन धारा 188 राजस्थान टि. एक्ट के तहत विचाराधीन है जिसमें रेस्पोडेंट भंवरलाल जो कि उस दावे में प्रतिवादी है उसकी ओर से व दीगर प्रतिवादीगण नेमाराम व श्रवणराम की ओर से जवाब पेश किया जा चुका है। अपीलांट ने अपील के संक्षिप्त तथ्यों में आधे, अपूर्ण व विधि विरूद्व तथ्य दर्ज कर भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है तथा यह गलत अंकन किया है कि तहसीलदार मुण्डवा ने स्वेच्छाचारिता, मनमाने तरीके से रेस्पोडेंट से मिलावट कर आदेश दिनांक 08.06.2021 को पारित किया हो। अपीलांट ने तहसीलदार मुण्डवा के विरूद्व रेस्पोडैंट से मिलावट करने का जो आक्षेप लगाया है उसके संबंध में किसी प्रकार की ठोस साक्ष्य अपील में पेश नहीं हुई है और बिना किसी आधार के इस तरह से निष्पक्ष व ईमानदार तहसीलदार/राजस्व अधिकारी के विरूद्व आक्षेप लगाकर बदनाम करने का अपीलांट को कोई अधिकार नहीं है और ऐसे बिना आधार व बिना साक्ष्य सबूत के राजस्व विभाग के अधिकारी पर लगाये गये आरोप से संबंधित अपील कतई पोषणीय नहीं हो सकती है न ही ऐसे आक्षेप लगायी गयी अपील स्वीकार की जा सकती है। किसी भी अधिकारी के विरूद्व कोई मिलावट आदि के आक्षेप लगाये जाते है तो उसके संबंध में ठोस दस्तावेजी साक्ष्य सबूत हो तो ही ऐसे आक्षेप माने जा सकते है मनमर्जी से आक्षेप लगाकर किसी की छवि खराब करने का अपीलांट को अधिकार नहीं है उपरोक्त परिस्थितियों में ऐसी अपील भारी कोस्ट के साथ खारिज किया जाना विधिअनुसार अपक्षेपित व न्यायोचित है। उपरोक्त के अलावा अपीलांट ने कथित विधि विरूद्व व मियाद बाहर अपील के आधारों में जो तथ्य दर्ज किये है वे कतई गलत व बनावटी है। अपील में अपीलांट रामकिशोर ने यह भी गलत अंकन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना कोई कार्यवाही की हो। क्योंकि प्रत्येक अधिकारी जो भी कार्यवाही करते है एक विधिक प्रक्रिया के तहत ही करते है और वास्तविक व विधि सम्मत कार्यवाही से नाराज होकर कोई पक्षकार ऐसी विधि सम्मत कार्यवाही को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही होना कथन कर देने मात्र के आधार पर ऐसी कार्यवाही बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, की हुई होना कतई नहीं माना जा सकता है न ऐसी विधि की मंशा है। तहसीलदार मुण्डवा ने कोई भी कार्यवाही जल्दबाजी में नहीं की थी बल्कि विधि सम्मत तरीके से कार्यवाही हुई है। अपीलांट ने अपील में यह भी गलत अंकन किया है कि मौजा बू नगरावता के खसरा नम्बर 163 से होकर अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 965/148 तक ही रास्ता कायम करना चाहिए था, खसरा नम्बर 147 के खातेदार भंवरलाल पुत्र हापुराम से मिलावट कर खसरा नम्बर 965/148 की उतरी पूर्वी सींव पर जबरन रास्ता दे दिया हो और वहां पहले रास्ता नहीं रहा हो। यह भी अपील में मिथ्या कथन किया गया है कि भंवरलाल को रास्ता के लिए खसरा नम्बर 251क राज. टि. एक्ट के तहत कार्यवाही करनी चाहिए थी। ग्राम बू नरावता तहसील मुण्डवा जिला नागौर में स्थित खसरा नम्बर 158, 966/14, 148/714, 158, 1248/151 व अन्य में पूर्वी सीमा के अन्दर से कदीमी समय से रास्ता रहता चला आया है खसरा नम्बर 164/1 से शुरू होकर खसरा नम्बर 147 तक पुराना/कदीमी रास्ता था, जिसकी चौडाई 16 फुट एवं लम्बर लगभग 2 किमी. थी जो कि उपरोक्त खसरों में आने जाने का पीढियों पुराना रास्ता रहा है खसरा नम्बर 164/1 से शुरू होकर खसरा नम्बर 147 तक पुराना/कदीमी रास्ता था, जिसकी चौडाई 16 फुट एवं लम्बाई लगभग 2 किमी. थी जो कि उपरोक्त खसरों में आने जाने का पीढियों पुराना रास्ता रहा है उक्त रास्ता को बार बार कंटीली झाडियां व पत्थर वगैरा डालकर तथा खाई खोद कर बंद कर दिया जाता था जिसकों प्रशासन द्वारा काश्तकारों के हित में चलाये गये रास्ता खोलों अभियान के तहत दिनांक 08.01.2021 को श्रीमान जिला कलक्टर नागौर के आदेशानुसार दिनांक 11.06.2021 को रास्ता खुलवाया, लेकिन बाद में उक्त रास्तें के पास स्थित खेतों वालों ने रास्ता के प्रथम छोर व अंतिम छोर पर रास्ता को बंद कर दिया, जिसकी शिकायत प्रभावित काश्तकारों द्वारा करने पर प्रशासन ने नियमानुसार कार्यवाही करते हुए बंद किये गये रास्ता को पुनः खुलवाया तथा इस बाबत कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नागौर के पत्र क्रमांक–पी.ए/2021/स्पे.1/दिनांक 29.06.2021 के जरिये तहसीलदार मुण्डवा को निर्देशित किया कि रास्ता खोलों अभियान के तहत दिनांक 08.01.2021 को खुलवाया उस रास्ता को शुरू व अंतिम छोर पर मार्ग में बंद कर दिया गया है अतः प्रार्थना पत्र की प्रति भेज कर लेख है कि उक्त रास्ते का प्रस्ताव बनाकर तत्काल भिजवावे तथा प्रस्ताव भिजवावे जाने तक रास्ता चालू रखने हेतु पाबंद किया जावे। उपरोक्त तहरीर उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार मुण्डवा को जारी की गयी। धारा 16 राज. टि. एक्ट के

02/4/24

अपर कलक्टर, नागौर

तहत सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर हक खातेदारी अर्जित न होने के प्रावधान है। तहसीलदार मुण्डवा के समक्ष दिनांक 30.12.2020 को ग्रामवासियों ने पुश्तैनी रास्ता जो अपीलांट रामकिशोर के खेत खसरा नम्बर 965/148 सहित अन्य लोगो के खसरान में से चलता है उसको जे.सी.बी. चला कर बंद कर देने के कारण व यही एक मात्र रस्ता काश्तकारों के लिए रहने के कारण रास्ता पुनः खुलवाने का आवेदन पेश किया। पटवारियों की टीम ने दिनांक 11.06.2021 को मौजा बू नरावता स्थित अपीलांट रामकिशोर के खसरा नम्बर 965/148 की सींव से होते हुए रेस्पोडेंट के खेत खसरा नबर 147 तक आने जाने वाले कदीमी रास्ता पर अतिक्रमण के संबंध में आदेश क्रमांक/राजस्व/2021/1239 दिनांक 10.06.2021 की पालना में तहसीलदार मुण्डवा, एवं पूर्व गठित राजस्व टीम मय पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचे, उक्त कदीमी रास्ता को न्यायालय तहसीलदार मुण्डवा जाप्ता मौके पर पहुंचे, उक्त कदीमी रास्ता को न्यायालय तहसीलदार मुण्डवा के प्रकरण मु.न. 09/21 राजस्थान टि. एक्ट की धारा 251 के तहत खुलवाया, उक्त रास्ता, रास्ता खोलो अभियान 2020-21 के तहत दिनांक 08.01.2021 को भी खुलवाया गया था जो खसरा नम्बर 965/148 के खातेदार अपीलांट रामकिशोर पुत्र शिवकरण जाट द्वारा हठधर्मिता अपनाते हुए व कानून को हाथ में लेकर प्रशासन की कार्यवाही को विफल करने के दुराशय से पुराने समय से चल रहे उक्त रास्ता की भूमि पर पत्थरों की कच्ची दीवार बनाकर रास्ता को बंद कर दिया गया जिसको रास्ता खोलों अभियान के तहत पुनः मय पुलिस जाप्ता मौके पर जाकर रास्ता खुलवाया गया तथा काश्तकारों को रास्ता बंद नहीं करने हेतु पुनः पाबंद किया गया व उसकी मौका रिपोर्ट मौके पर तैयार कर पढ कर सुनाई व उपस्थित मौतबिरान के हस्ताक्षर करवाये। अपीलांट/अतिक्रमी रामकिशोर पुत्र शिवकरण व गरीबराम पुत्र रामकिशोर मौके पर उपस्थित थे परन्तु हस्ताक्षर करने से इन्कार किया। उक्त मौका पर्चा फर्द रिपोर्ट दिनांक 11.06.2021 के संबंध में जानबूझ कर अपीलांट ने तथ्य छुपा कर अपील पेश की है व उपरोक्त सारी कार्यवाही न्यायालय हाजा से छुपाई हुई है। ऐसी स्थिति में कथित अपील खारिज किये जाने योग्य है क्योंकि उक्त बार बार खुलवाये गये रास्ता को बंद करने के दुराशय से अपील पेश की गयी है।

{3}(II)- अपीलांट ने अपील के आधार जो दर्ज किये है उनमें वर्णित तमाम तथ्ये सरासर, गलत, तौड मरोड कर भ्रमित करने के दुराश्य से पेश मिथ्या दर्ज किये गये है जो कतई माने जाने योग्य नहीं है। प्रशासन ने पुलिस ईमदाद से रास्ता खोलों अभियान के तहत बार बार रास्ता खुलवाया जाता रहा है लेकिन अपीलांट व उसके पारिवारिक सदस्य मिलकर लाठी के बल पर कानून व प्रशासन के आदेशों/निर्देशों की परवाह किये बिना पुनः रास्ता को लाठी के बल पर कानून व प्रशासन के आदेशों/निर्देशों की परवाह किये बिना पुनः रास्ता को लाठी के बल पर बंद करते रहे है व मौके पर अनावश्यक विवाद उत्पन्न किया जा रहा है व बचाव में झूठी कार्यवाही कर रहे है दावा व टी.आई. आवेदन डिफेन्स में अलग कर दिये व सलाह मशविरा करके यह अपील पेश कर दी व प्रशासन की कार्यवाही विफल करने का प्रयास किया जा रहा है जबकि ऐसे अतिक्रमी व्यक्ति को न्यायालय से अपने अतिक्रमण व प्रशासन की कार्यवाही को विफल करने के दुराशय से कोई आदेश अपने पक्ष में प्राप्त करने का अधिकार नहीं हो सकता है अपीलांट स्वयं अतिक्रमी रहा है और अतिक्रमी को किसी प्रकार की रीलिफ नहीं दी जा सकती है ऐसा विधि का सुस्थापित सिद्वांत है।

{3}(III)-अपीलांट बार बार यह मिथ्या तथ्य दर्ज कर रहा है कि रेस्पोडेंट के खेत खसरा नम्बर 147 में आने जाने हेतु कोई रास्ता खसरान 965/148 में से नहीं रहा हो। अपीलांट बार बार तहसीलदार से मिलावट करके खसरा नम्बर 965/148 की उतरी पूर्वी सींव पर नया रास्ता कायम करवाने के गलत आक्षेप लगाये है। अपीलांट व उसके पुत्र वगैरा रास्ता की बात को लेकर मौके पर टंटा फिसाद कर शांति भंग करने के कारण उनके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करके उनकों शांति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया था। पुराने रास्ता पर किसी भी प्रकार का अवरोध, अतिक्रमण होने पर उसे हटाने का प्रशासन का विधिक व नैतिक दायित्व होने से सारी कार्यवाही विधि सम्मत तरीके से की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राजस्व मण्डल द्वारा समय समय पर प्रतिपादित सिद्वांतों के तहत ही रास्ता पर किये गये अवरोध को हटाने की कार्यवाही हुई है तथा धारा 251 राज.टि. एक्ट के तहत समस्त सुनवाई व जांच करके अपनी शक्तियों का प्रयोग कर विधिक प्रावधानों के तहत उचित कार्यवाही की गयी है जिसको गलत आधारों पर अपील के जरिये चुनोती दी है जिससे भी अपील पोषणीय नहीं है। यह गलत दर्ज किया गया है कि खसरा नम्बर 147 में आने जाने हेतु कभी भी रास्ता दिनांक 08.01.2021 को नहीं खोला गया हो। इस संबंध में सारे मिथ्या आक्षेप लगाकर विधि विरूद्व व मियाद बाहर अपील पेश की है मियाद बाबत कोई माकुल व पर्याप्त कारण दर्ज नहीं है। अपीलांट द्वारा मौके पर रास्ता बंद कर देने से रेस्पोडेंट सहित दीगर काश्तकारों को भारी क्षति व असुविधा होती रही है समझाने के बावजूद अवरोध नहीं हटा कर मौके पर टंटा फसाद कर तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी जिस बाबत भी समय समय पर

02/4/24
अपर कलक्टर, नागौर

रेस्पोडेंट की ओर से प्रशासन को सूचित कर कार्यवाही करने का निवेदन किया जाता रहा है जिसकी सारी जानकारी अपीलांट को रहती चली आई है। पुलिस ईमदाद सहित रास्ता खोलों अभियान के तहत बार बार रास्ता खुलवपाया जाता रहा है लेकिन अपीलांट व उसके पारिवारिक सदस्य मिलकर लाठी के बल पर कानून व प्रशासन के आदेशों/निर्देशों की परवाह किये बिना पुनः गैर कानूनी रूप से रास्ता बंद करते रहे है व मौके पर अनावश्यक विवाद उत्पन्न किया जा रहा है तथा अब सलाह मशविरा करके येन केन प्रकारेण प्रशासन द्वारा की जा रही विधिक कार्यवाही को बाधित करने के दुराशय से दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन भी पेश कर दिया व उसी के संबंध में यह मिथ्या अपील पेश की है ताकि येन केन प्रकारेण प्रशासन की कार्यवाही को बाधित किया जा सके। अपीलांट को कथित दावा आदि में सफलता मिलती नजर नहीं आने से विधि विरूद्व तरीके से अपील पेश कर अनावश्यक कार्यवाहियां कर येन केन प्रकरण रास्ता को सदैव के लिए बंद कर अतिक्रमण करना चाहते है जबकि यह रास्ता कदीमी समय से कई काश्तकारों के खेतों में से हाकर चलता है जिनमें अधिकांश को कोई आपति नहीं है लेकिन अपीलांट जो कि रेस्पोडेंट से अदावत रखता है इस कारण उक्त कदीमी रास्ता को बार बार बंद कर प्रशासन सहित रेस्पोडेंट को परेशान कर रहा है इस कारण अपीलांट का कोई भी कथन माने जाने योग्य नहीं है। यहां तक कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत कार्यवाही करने का अपीलांट कथन कर रहा है इस संबंध में निवेदन है कि धारा 251ए राज.टि. एक्ट के तहत नया रास्ता घोषित करवाने के लिए आवेदन किया जाता है वर्तमान प्रकरण में तो रास्ता कदीमी सय से मौके पर आवागमन का रहता चला आया था और पुराने रास्तों को यहां जहां भी बंद किया गया है, अवरोध किया गया है तो उन्हे खुला करवाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार रास्ता खोलों अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत कई गांवों में लम्बे अरसे से बंद रास्तों को खुलवा कर आवागमन सुचारू कर किसानों को राहत प्रदान की जा चुकी है व रास्ता पर पट्टिका भी लगाई गयी है उसकी अभियान में वर्तमान रास्ता खुलवाया गया, समाचार पत्रों में भी खबर प्रकाशित हुई लेकिन अपीलांट व उसके परिजन कानून को हाथ में लेकर बार बार रास्ता बंद कर देते है तथा प्रशासन व पुलिस ईमदाद से की गयी कार्यवाही को विफल करने का प्रयास किया जा रहा है व उक्त विधिक कार्यवाही को बाधित करने के दुराशय से सलाह मशविरा करके अपील पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। तहसीलदार मुण्डवा की पत्रावली से यह स्पष्ट है कि विचारण के दौरान अपीलांट स्वयं उपस्थित रहा था तथा उसे अपना पक्ष रखने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त एवं उचित अवसर प्रदान किया गया था, अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के उल्लंघन का तर्क निराधार है। भू अभिलेख निरीक्षक (ILR) खजवाना की मौका जांच रिपोर्ट के बिंदु संख्या 2 व 3 एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 08.06.2021 का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि अपीलांट ने अपने खेत खसरा नम्बर 965/148 की सींव (मेड) पर हाल ही में पत्थरों की कच्ची दीवार बनाकर उस कदीमी रास्ते को अवरूद्व किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश साक्ष्यों एवं मौका स्थिति एवं विधिक प्रावधानों के अनुरूप पारित किया जाना प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत कदीमी सुखाचार के रास्ते पर किये गये अवरोध को हटाये जाने हेतु तहसीलदार अधिकृत है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील विधि अनुसार ही पारित होना प्रतीत होता है।

{5}–उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हाने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}–निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/4/26

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
नागौर
अपर कलक्टर, नागौर